



कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर

मकान नम्बर — 40, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.) 492 006

फोन:—0771—2444591 ईमेल:— cspcraipur@gmail.com वेबसाइट:— www.cspc.in

क्रमांक / सी.जी. / फार्मा / 2023/172

रायपुर, दिनांक :— 17/05/2022

—: सूचना :-

विषय :— डिप्लोमा इन फार्मेसी के पश्चात् पार्ट –3 (फार्मासिस्ट प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कान्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट) विधिवत् जारी किये जाने संबंधी।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी छात्रों के पार्ट – । तथा पार्ट– ॥। परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् पार्ट – ॥।। अर्थात् प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कान्ट्रैक्ट फार्म के एक से पाँच तक सभी सेक्षण विधिवत् सही—सही भरे जाने चाहिए। सेक्षण – 1 में प्रेक्टिकल कान्ट्रैक्ट फार्म जारी करने वाले संस्था प्रमुख/प्राचार्य का हस्ताक्षर तथा मुहर व जारी किये जाने का दिनांक तथा सेक्षण 5 में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग पूर्ण होने के पश्चात् संस्था प्रमुख/प्राचार्य का हस्ताक्षर, संस्था का मुहर तथा दिनांक होना आवश्यक है। सेक्षण – 1 से सेक्षण – 5 की सत्यता प्राचार्य/संस्था प्रमुख सुनिश्चित करें।

प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कान्ट्रैक्ट फार्म के सेक्षण 2 से 4 तक में भरे जाने वाली सभी जानकारी एवम् तिथि विधिवत् भरा जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सही—सही दिनांक तथा प्रशिक्षण की अवधि 3 माह तथा न्यूनतम् 500 घण्टे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रशिक्षण प्रदाता प्रशिक्षण प्रारम्भ करने तथा प्रशिक्षण समाप्त करने वाले सेक्षण में प्रशिक्षक का हस्ताक्षर व मुहर तथा निर्दिष्ट स्थान पर दिनांक का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना आवश्यक है।

सूचनार्थ ।

(डॉ० शेखर वर्मा)
रजिस्ट्रार
17/05/2022

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)